न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलालयादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 119/2021

उनवान

1. रमेश पुत्र हनुमानदास,
2. पप्पू ,
3. राजेश,
4. सीमा, पुत्र सीताराम,
5. भंवरी पत्नी सीताराम,
6. सांवरा,
7. सूरज,
8. पार्वती,
90. सुमन पि0 जगदीश,
10. रूकमा पत्नी जगदीश जाति साधू नि0 रामपुरा अहिरान नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. छगनी पुत्री भागीरथ
2. पारसी पुत्री भागीरथ
3. मनभर, पुत्री भागीरथ (मृत जरिरयें वारिस)
3/1. बाबूलाल पुत्र मनभर पुत्री भागीरथ
3/2. बद्रीलाल पुत्र मनभर पुत्री भागीरथ
4. मूली पुत्री भागीरथ
5. हरकू पि0 भागीरथ, **(तर्क)**
6. रामनाथ पुत्र किशना, **(तर्क)**
7. हरदेव पुत्र मांगू **(तर्क)** समस्त जाति बैरवा नि0 रामपुरा अहिरान, नसीराबाद,
8. उप पंजीयक, नसीराबाद,
9. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :–1 से 4 जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत
8 व 9 जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 26.5.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प.म. रामपुरा अहिरान में स्थित आराजी भूमि पर वादीगण की खातेदारी/काश्तकारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:17:36 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1312	1–7–0	1346	0.22
1313	1–10–0	1345	0.24
1314	2–1–0	1344	0.33
1315	0–5–0	1345	0.04
1316	2–9–0	1348	0.40
1327	2–15–0	1425	0.44
1339	2–11–0	1424	0.41

उपरोक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 9866/1 रकबा 3–13–10 व 1023/1 रकबा 2–13–0 के वंर्किग खसरा नम्बर की आराजी की भूमि दिनांक 30.12.1965 को रामनाथ पुत्र किशना व हरदेव पुत्र मांगू प्रतिवादी संख्या 6 व 7 द्वारा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र वादीगण के पक्ष में बैचान किया गया व उक्त आराजी के खातेदार भागीरथ पुत्र चतरा के द्वारा वंर्किग खसरा नम्बर की आराजी में अपना हिस्सा जरिये वसीयतनामा व इकरारनामा दिनांक 14.12.1992 को वादीगण के पक्ष में हस्तांतरित किया गया। मौके पर आराजी मुतनाजा पर वादीगण ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी विक्रय पत्र व वसीयत के आधार पर हनुमानदास के नाम खातेदारी दर्ज करने व उसकी मृत्यु के बाद वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज कर दी गयी। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने प्रकरण में जवाब नी पेश करना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 5 से 7 ननाऔलाद फौत होने के कारण उनका नाम तर्क किया गया। राज. पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

अधिवक्ता वादी ने राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र, इकरारनामा व वसीयतनामा पेश किया तथा प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्धान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया ग्राम व प.म. रामपुरा हनुवतिया की आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 में मांगू पुत्र रामा 1/2 हिस्सा व भागीरथ पुत्र चतरा 1/2 हिस्सा कौम चमार के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में आराजी मुतनाजा भागीरथ पुत्र चतरा व हरदेव पुत्र मांगू व रामनाथ पुत्र किशना जाति चमार के नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र अनुसार तत्कालीन खातेदार हरदेव पुत्र मांगू व रामनाथ पुत्र किशना जाति चमार ने चौसाला खसरा नम्बर 966/1 रकबा 3–13–10 व 1023/1 रकबा 2–13–0 की आराजी वादीगण के पूर्वज हनुमानदास पुत्र लालदास जाति साधु को दिनांक 30.12.1965 के बैचान कर दी। इसी प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा के अनुसार हरकू पत्नी भागीरथ, छगनी, मनभर, भूली, पारसी पुत्री भागीरथ के द्वारा आराजी मुतनाजा की वसीयत सीताराम, जगदीश, रमेश पि. हनुमानदास के नाम 14.12.1992 को की। साथ ही हरकू पत्नी भागीरथ, छगनी, मनभर, भूली, पारसी पुत्री भागीरथ के द्वारा आराजी मुतनाजा का इकरारनामा सीताराम, जगदीश, रमेश पि. हनुमानदास के नाम 14.12.1992 को कर दिया। वादीगण उक्त विक्रय पत्र, वसीयत व इकरारनामा के आधार पर आराजी मुतनाजा की खातेदारी चाहते है। किन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये बैचान, वसीयत व इकरारनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:17:36 IST
Reason: SelfAttested

––3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 से बाधित है। वादी अनुसूचित जाति के नही है जबकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति से उक्त आराजी का हस्तांतरण अन्य वर्ग को किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त बिक्रय पत्र, इकरारनामा व वसीयत आरम्भ से ही शून्य होने के कारण वादीगण उक्त दस्तावेज के आधार पर आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण उक्त आराजी पर अपना कब्जा होने का कथन करते है। प्रतिवादीगण/पूर्वज ने उक्त आराजी प्रतिफल राशि प्राप्त कर अन्य वर्ग को हस्तांतरित कर दी है। भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा नही है। प्रतिवादीगण ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र, वसीयत व इकरारनामा का खण्डन भी नही किया है। अतः प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है साथ ही आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज भी त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है।

अतः ग्राम व प.म. रामपुरा अहिरान के हाल खसरा नम्बर 1346, 1345, 1344, 1348, 1425 व 1424 रकबा कमशः 0.22, 0.24, 0.33, 0.40, 0.44 व 0.41 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लघंन होने के कारण तहसीलदार नसीराबाद नसीराबाद उक्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत वादीगण व प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद प्रस्तुत करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:17:36 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रमेश बनाम छगनी

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर –119/2021
पेश करने की दिनांक –24.09.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम व प.म. रामपुरा अहिरान के हाल खसरा नम्बर 1346, 1345, 1344, 1348, 1425 व 1424 रकबा क्रमशः 0.22, 0.24, 0.33, 0.40, 0.44 व 0.41 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लघंन होने के कारण तहसीलदार नसीराबाद नसीराबाद उक्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत वादीगण व प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद प्रस्तुत करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 26 माह 5 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:17:36 IST
Reason: SelfAttested